प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 05.10.2025

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

□थाना बलुआ पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित चल रहे 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।
□गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा 315 बोर, 01 फायरशुदा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस सहित चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त 11400/- रूपये किये गये बरामद।

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व स्नेहा तिवारी, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में अतुल कुमार, थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा व थाना बलुआ सहित जनपद के कई थानों पर चोरी के मुकदमों में वांछित रोहन पुत्र दिनेश निवासी पूरा गनेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली को दिनांक 04.10.2025 को समय करीब 15.20 बजे नाथूपुर तिराहा ग्राम नाथूपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा 315 बोर, 01 फायरशुदा कारतूस 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व विभिन्न चोरी के मुकदमों में चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त कुल 11400 रूपये बरामद हुआ। बरामदा अवैध असलहा व कारतूस के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 253/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ अभियुक्त-
1-गिरफ्तार अभियुक्त रोहन उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने ही गाँव के अजय पुत्र स्व0 नन्दलाल के घर में अपने साथियों भोला पुत्र पाखण्डी उर्फ चक्र सुदर्शन, आकाश पुत्र रामा, आकाश राम पुत्र विनोद राम के साथ मिलकर चोरी किया था।
2-अपने ही गांव के लोरिक के घर में भोला, महेश चन्द्र, ईश्वरचन्द्र पुत्रगण चक्रसुदर्शन निवासी गण पुरा गणेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली के साथ मिलकर चोरी किया था।
उसे जो भी सामान उसके हिस्से मे मिला था उसने चलते फिरते राहगीरों व काबड़ियों को बेच दिया था
3- वह जुलाई के महीने धीना थाना क्षेत्र के बैरिक कला मेन रोड पर स्थित घर मे छत के रास्ते घुसकर कुछ गहने व 5000 रु0 चोरी कर लिये थे। गहनो को वह औने पौने दाम में चलते फिरते राहगीरो को बनारस मे बेच दिया था।
4-अगस्त मे अपने साथी आकाश पुत्र रामा निवासी ग्राम पुरा गनेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली के साथ अलीनगर थाना क्षेत्र के बसनी गांव मे शिवमंदिर मे चोरी की थी वहां से चुराई गये घण्टे आकाश के पास थे तथा मंदिर मे चांदी के आभूषण लड्डू गोपाल उसके पास था जिसे उसने औने पौने दाम पर बनारस मे राहगीरो को बेच दिया था।
5- उसने आकाश के साथ ही मिलकर चन्दौली के मसौनी गांव की काली माता मंदिर चोरी की थी वहां के भी सभी सामान उसने बेच दिया है।
अवैध असलहे के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि वह जब चोरी करने जाता हूँ तो इसे अपने बचाव के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
रोहन पुत्र दिनेश निवासी पूरा गनेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध असलहा 315 बोर

01 फायरशुदा कारतूस 315 बोर

01 खोखा कारतूस 315 बोर

11400 रूपये नगद (विभिन्न चोरी के मालों की बिक्री से प्राप्त)

आपराधिक इतिहास अभियुक्तः-

मु0अ0सं0- 253/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0 108/2025 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0 102/2025 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0- 164/2025 धारा 380/411/457 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0 68/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस थाना धीना जनपद चन्दौली

मु0अ0सं0- 382/25 धारा 305(d)/324(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का विवरणः-

स्थानः- नाथूपुर तिराहा ग्राम नाथूपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

दिनांकः 04.10.2025 समय 15.20 बजे

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना बलुआ जनपद चन्दौली,

2.उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी मारूफपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मोहरगंज थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.हे0का0 उपेन्द्र सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

5.का0 अल्ताफ अहमद थाना बलुआ जनपद चन्दौली